न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/478

1. बंशीधर पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति जाट, निवासी ढाणी लादू वाली, कल्याणपुरा, जयरामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) तहसील मुख्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)।
2. उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान विधि प्रकरण संख्या ..../2021 निर्णय दिनांक 20.10.2021 खसरा नम्बर 1409, 1410, 1414 ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार मण्डल कल्याणपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

उपस्थित :–

1. श्री सीताराम सामोता, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व.2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक — 21.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.10.2021 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.10.2021 को ग्राम ढाणी डेरावाली रोड से जसवन्तपुरा कांकड तक जो खसरा 1409, 1410 व 1414 में से चालू रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेज नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, सहमति पत्र (सम्बन्धित खातेदार), पटवारी हल्का कल्याणपुरा की रिपोर्ट मय अभिशंषा कर प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प ग्राम पंचायत कल्याणपुरा को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.10.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया गया कि वे तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम ढाणी डेरावाली के कृषि खसरा नम्बर 1409 के रकबा 0.0440 है0, खसरा नम्बर 1410 के रकबा 0.0560 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1414 के रकबा 0.0440 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1440 हैक्टेयर (लगभग रास्ते की चौडाई 12 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकिन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश एवं गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही दर्ज करने एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रखने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट बंशीधर पुत्र लक्ष्मण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 20.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि प्रस्तावित आम रास्ते का अंकन राजस्व में दर्ज करवाने के लिए किस के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वर्णित आदेश में किसी प्रकार का कोई विवेचन, विश्लेषण, कारण, आधार अंकित किये विना ही एक पंक्ति में आलोच्य आदेश पारित फरमा दिया गया, जिसकी लोकस स्टेण्डाई नहीं है और नोन स्पीकिंग ऑर्डर होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायिक दृष्टान्त 2016, 2017, सप्लीमेन्ट्री आर.आर.टी. पेज नम्बर 717 माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि, जब नोन स्पीकिंग आदेश जिसमें प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कारण नहीं दिये गये हो तो आदेश अवैध है। विचारणीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत न तो इस बात का अंकन है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति व प्रस्ताव संख्या का कोई उल्लेख नहीं है ना ही इस बात का कोई उल्लेख है कि कच्चे रास्ते को आम रास्ते में तब्दील करने के लिए किसी आम जन को या जनता को सुविधा उपलब्ध हो रही हो। विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा इस बात पर कतई गौर नहीं किया गया कि प्रस्तावित रास्ता निकालने की कोई सहमति दी हो। सहमति के सम्बन्ध में इस बात का कोई जांच पडताल नहीं हुयी कि क्या कोई सहमति विधिक रूप से दी गयी है, विचारणीय न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ते की अस्तीत्व की जांच किये बिना ही फर्द मौका रिकार्ड तलब किये बिना ही दिनांक 20.10.2021 को आनन फानन में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कतई न्यायपूर्ण एवं विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी द्वारा ना ही इस बात का ताईद किया गया कि सभी खातेदार जीवित है अथवा मृत्यु हो गयी, पटवारी हल्का द्वारा भी इस बात का कोई वर्णन नहीं किया गया ना ही वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया जबकि खसरा नम्बर 1409, 1414 के भू स्वामी तथा आवेदन/आवेदनकर्ता कन्हैया लाल पुत्र रामू की मृत्यु आवेदन करने से पूर्व ही हो चुकी है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन को रिकार्ड पर लेकर कार्यवाही अमल में लायी गयी है जो, शून्य कारित की परिभाषा में आती है। आवेदनकर्ता की मृत्यु के बाद गलत तरीके से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो विधि विरुद्ध ही नहीं अपितु आपराधिक संलिप्तता प्रमाणित हो रही है। अतः वर्णित आदेश स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों में ढाणी डेरावाली रोड से जसवंतपुरा कांकड तक निकालने का उल्लेख है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित रास्ते को जसवंतपुरा कांकड से आगे पूरब में घुमाते हुए खसरा नम्बर 1410 में रास्ता निकाल दिया गया, जबकि वर्णित रास्ते के आगे ना तो कोई आबादी है ना ही किसी प्रकार का उपयोग उपभोग में आ रहा है, केवल किसी एक खसरा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रास्ता निकाला गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1409, 1414 व 1410 के सभी सहखातेदारो द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या–2 के समक्ष इस बात का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है कि आप द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार कर प्रभावशाली व्यक्ति अपने खेत में जाने के लिए अवैध रूप से रास्ते का अंकन करवाना चाहते है, जिसके अन्तर्गत ना तो कोई प्रस्तावित रास्ता है, ना ही कोई रास्ता आवादी क्षेत्र के अन्तर्गत जाता है। अतः आप द्वारा जारी आदेश की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जावे। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है। विचारणीय न्यायालय द्वारा इस बात का अपने आदेश में वर्णन नहीं किया कि प्रचलित रास्ते का अंकन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव का वर्णन किया है. लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रस्ताव बाबत चाही गयी रिपोर्ट में वर्णन आया है कि खसरा नम्बर 1409, 1410, 1414 का रास्ते बाबत ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई अवलोकन किये ही रास्ता पारित कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। अतः आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्याय़ालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.10.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे।

पटवारी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी व काश्तशुदा भूमि में नाप जोख करने लगे तो प्रार्थी ने कारण पूछा और विरोध किया तो उन्होनें कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा रास्ता निकालने का आदेश पारित किया है, उक्त आदेश की फोटो प्रति प्रार्थी को दी गयी, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2022 को विचारणीय न्यायालय गया तथा प्रमाणित नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 04.11.2022 को प्राप्त हुयी। प्रार्थी ने आलोच्य का अवलोकन करवाया तो आश्चर्यचकित हो गया और सदमें में आ गया। प्रार्थी द्वारा जयपुर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा विधिक राय जानी और अपील तैयार करवायी जाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी को कानून व कानूनी मियाद का ज्ञान नहीं है, उक्त परिस्थतियों में अपील प्रस्तुतीकरण में हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवायी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध आदेश को चुनौती देने के लिए समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। अपील में गुणावगुण पर सार एवं कानूनी बिन्दु नियत है। मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाये जाने की न्यायिक मंशा है। न्यायहित में अपील पेश करने में हुयी देरी को माफ नहीं किया गया तो अपीलान्ट का अपील पेश करने का मकसद ही फौत हो जायेगा और उसके प्राकृतिक, न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रूप से प्रभावित होगे। न्यायिक दृष्टान्त आर.आ.टी. 2005 (2) पेज संख्या 839 के अनुसार प्राम्भतः शून्य एवं अवैध आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील में प्रस्तुति में हुई देरी के सम्बन्ध में अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 को स्वीकार फरमाया जाकर अपील में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के आदेश प्रदान किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाया जाकर विवादित खसरा नम्बर की भूमि बाबत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2021 अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 को पाबंद किया जावे कि राजस्व अभिलेख में अमल दरामद न करे, अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे आदेश पारित करने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.11.2022 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें हाल अपीलान्ट बंशीधर की सहमति पत्र पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है तथा सहमति पत्र पर भी रिकार्डेड खातेदार खसरा नम्बर 1409, 1410, 1414 के सभी खातेदारों के सहमति स्वरूप उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने ग्राम पंचायत का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सभी सबूतों एवं साक्ष्य का अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैं कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर का निर्णय दिनांक 20.10.2021 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर एवं सभी दस्तावेजों का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर